न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 14/2019 प्रार्थना पत्र

1. सत्यनारायण सिंह पिता नाथू सिंह राव निवासी सतढुडिया तहसील सहाडा जिला भीलवाडा –प्रार्थीगण	बनाम	1. मुकेश पिता देवीलाल गाडरी निवासी सतढुडिया तहसील सहाडा जिला भीलवाडा 2. ग्राम पंचायत ढोसर तहसील सहाडा बजरिये सरपंच हेमलता धोबी – विपक्षीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम निगरानी प्रकरण सं. 07/18 निर्णय दिनांक 24.09.2018 में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा.दी.

उपस्थित –

1. श्री पर्वत सिंह अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री एम.एल. बापना अधिवक्ता – प्रार्थी गैर निगराकार सं. 02 की ओर से

आदेश

दिनांक 26.08.2020

प्रकरण में गैर निगराकार सं. 02 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगरानी प्रकरण संख्या 07/18 में गैर निगराकार संख्या 02 को कोई तामील/सूचना नही मिली और प्रकरण में दिनांक 24.09.2018 को निर्णय पारित कर दिया गया। उक्त प्रकरण में कोई तामील गैर निगराकार संख्या 02 पर नही हुयी। अगर तामील सूचना होती तो गैर निगराकार संख्या 2 प्रकरण में जवाब पेश कर अपना पक्ष प्रस्तुत करती लेकिन उसको कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया एवं प्रकरण में दिनांक 24.09.2018 को एक तरफा निर्णय पारित कर दिया। उक्त प्रकरण में गैर निगराकार सं. 02 को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक हैं। निवेदन हैं कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में गैर निगराकार सं. 02 के विरूद्व दो तरफा कार्यवाही का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति निगराकार अधिवक्ता को दिलायी गयी। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उभयपक्ष अधिवक्तों की बहस सुनी गयी ।

प्रार्थी गैर निगराकार सं. 02 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा (राज.)

निगरानी प्रकरण संख्या 07/18 में गैर निगराकार संख्या 02 को कोई तामील/सूचना नही मिली और प्रकरण में दिनांक 24.09.2018 को निर्णय पारित कर दिया गया। उक्त प्रकरण में कोई तामील गैर निगराकार संख्या 02 पर नही हुयी। अगर तामील सूचना होती तो गैर निगराकार संख्या 2 प्रकरण में जवाब पेश कर अपना पक्ष प्रस्तुत करती लेकिन उसको कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया एवं प्रकरण में दिनांक 24.09.2018 को एक तरफा निर्णय पारित कर दिया। उक्त प्रकरण में गैर निगराकार सं. 02 को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक हैं।

निगराकार अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि निगरानी प्रकरण संख्या 07/18 में पंचायत से मूल रिकार्ड तलब किया गया हैं। ऐसे में पंचायत को उक्त प्रकरण की पूर्ण जानकारी थी तभी मूल रिकार्ड भिजवाया गया। गैर निगराकार सं. 02 द्वारा किया गया कथन बेबुनियाद हैं। निवेदन हैं कि गैर निगराकार सं. 02 का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 खारिज किया जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि प्रकरण संख्या 07/2018 निगरानी दिनांक 22.01.2018 दर्ज कर विपक्षी को सम्मन जारी किये गये, फेहरिस्त तलवाना संलग्न हैं। गैर निगराकार के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही आर्डर शीट पर नहीं हैं एवं गैर निगराकार के सम्मन बाद तामील भी संलग्न नहीं हैं। प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा. दी. स्वीकार किया जाता हैं।

(राकेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar
Date: 2020.02.27 17:46:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: